निर्वाचन आवश्यक

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा

संख्या 271 /29–स्था0प्रा0नि0/2016 दिनांक 19 फरवरी, 2016

प्रेसनोट

मुरादाबाद–बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त निर्वाचन हेतु दिनांक 03 मार्च, 2016 को पूर्वान्ह 8.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक मतदाता सम्पन्न होगा। मतदान को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मत देते समय, मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) या पहचान सम्बन्धी अन्य अभिलेख जिस पर मतदाता का फोटो चस्पा हो या संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः यदि किसी मतदाता के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) या पहचान सम्बन्धी अन्य अभिलेख जिस पर मतदाता का फोटो चस्पा हो, उपलब्ध न होने की स्थिति में वह दिनांक 29 फरवरी, 2016 की सांय 5.00 बजे तक संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत से पहचान पत्र बनवाने हेतु आपना आवेदन पत्र जमा कर पहचान पत्र प्राप्त कर लें। उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि के अर्न्तगत यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र नहीं बनवाता है तो उसको मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

सहायक रिटर्निंग आफिसर
मुरादाबाद–बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा।

प्रतिलिपि– 1– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–जिलाधिकारी मुरादाबाद/रिटर्निंग आफिसर, मुरादाबाद–बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र।
3–निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, अमरोहा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा।
3. जिलाध्यक्ष/जिला सचिव, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल जनपद अमरोहा।
4. प्रभारी अधिकारी (मतदान कार्मिक) जनपद अमरोहा।
5. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद अमरोहा।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अमरोहा।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद अमरोहा।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद अमरोहा।
9. प्रभारी अधिकारी (मतदान कार्मिक) जनपद अमरोहा।
10. जिला सूचना अधिकारी अमरोहा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेसनोट के सारांश को सर्वाधिक पढे जाने वाले दैनिक समाचार पत्रों में न्यूज आइटम के रूप में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

सहायक रिटर्निंग आफिसर
मुरादाबाद–बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा।

निर्वाचन आवश्यक

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा

संख्या 270 /29—स्था0प्रा0नि0/2016 दिनांक 19 फरवरी, 2016

प्रेसनोट

मुरादाबाद—बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त निर्वाचन हेतु दिनांक 03 मार्च, 2016 को पूर्वान्ह 8.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जनपद में अवस्थित मतदान केन्द्रों यथा समस्त विकास खण्ड कार्यालय भवनों पर मतदान सम्पन्न कराया जायेगा । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे मतदाता जो निरक्षर हैं अथवा किसी गम्भीर विकलांगता के कारण चलने—फिरने में असमर्थ हैं, को अपना मत अभिलिखत करने के लिए हेल्पर दिये जाने की सुविधा प्रदान की गई है । मतदाता को अपना मत अभिलिखित करने के लिए भारतीय अंकों जैसे 1, 2, 3 आदि या रोमन I, II, III रूप में आदि या देवनागरी रूप में 1, 2, 3 में प्रयुक्त रूप में चिन्हित किये जा सकते हैं ।

अतः ऐसे समस्त मतदाता जो निरक्षर हैं अथवा किसी गम्भीर विकलांगता के कारण चलने—फिरने में असमर्थ हैं, को यदि हेल्पर लेने की आवश्यकता हो तो वह दिनांक 27.02.2016 की सांय 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं । हेल्पर के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति संबंधित मतदाता के परिवार का ही सदस्य होना चाहिए । मतदाता द्वारा हेल्पर के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटोग्राफ एवं मतदाता फोटो पहचान, राशन कार्ड अथवा किसी उपयुक्त साक्ष्य की फोटो प्रति भी आवेदन पत्र के साथ जमा करानी होगी । दिनांक 27.02.2016 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

सहायक रिटर्निंग आफिसर
मुरादाबाद—बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा ।

प्रतिलिपि— 1— जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2—जिलाधिकारी मुरादाबाद/रिटर्निंग आफिसर, मुरादाबाद—बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र ।
3—निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. पुलिस अधीक्षक, अमरोहा ।
2. जिलाध्यक्ष/जिला सचिव, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल जनपद अमरोहा ।
3. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद अमरोहा ।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अमरोहा ।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद अमरोहा ।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद अमरोहा ।
7. प्रभारी अधिकारी (मतदान कार्मिक) जनपद अमरोहा ।
8. जिला सूचना अधिकारी अमरोहा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेसनोट के सारांश को सर्वाधिक पढे जाने वाले दैनिक समाचार पत्रों में न्यूज आइटम के रूप में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें ।

सहायक रिटर्निंग आफिसर
मुरादाबाद—बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा ।